यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के माह 01/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 29.04.2017 से 03.05.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विजयपाल सिंह नेगी, लेखापरीक्षक, श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2016 से 29.01.2016 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2006 से 12/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण कुमाऊँ मण्डल को आच्छादित करता है, निदेशक कार्यालय द्वारा मण्डल में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में अनुश्रवण हेतु दौरा किया जाता है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैरस्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत	आधिक्य (+)	बचत
2014-15	लागू नही	लागू नही	16.45	14.64	124.23	83.04	-	1.81	-	41.19
2015-16			17.26	16.13	108.02	95.37	-	1.13	-	12.65
2016-17			22.76	18.28	138.42	126.71	-	4.48	-	11.71

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य(+) / बचत(-)	ब्याज0
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (स) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून
2) महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून
3) निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड, नैनीताल
4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी
5) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा, विगत लेखापरीक्षा फरवरी 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के लेखापरीक्षा की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2016 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- धनराशि ₹ 13.84 लाख की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं- 3/xxvii(6)/2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि संबंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबंधित अभिलेखों - यथा 11 सी पंजिका कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे। इसके अतिरिक्त, Form BM-05 में DDO द्वारा संबंधित माह में किये गये लेन देनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि "Certified that all drawals shown in the statement are correct except the followings one (if any) which have not been made by me " and "Besides the above the following are also the drawals (If any) by me during the month which have not shown in the statements."

कार्यालय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल की रोकड़ बही एवं बी.एम.-5 की नमूना जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच हेतु चयनित माह में आहरित धनराशि ₹ 13.84 लाख की प्रविष्ट रोकड़ बही में नहीं की गयी थी। विवरण निम्नवत है:-

विवरण		
दिनांक	वाऊचर नं.	नेट धनराशि (₹)
16.09.2016	A22100086	3,41,265
20.09.2016	A22100105	2,64,106
29.09.2016	A22100140	4,03,390
29.09.2016	A22100141	61,333
29.09.2016	A22100142	1,09,645
29.09.2016	A22100143	24,288
29.09.2016	A22100145	75,980
29.09.2016	A22100146	1,04,318
	योग	13,84,325

इस संबंध में लेखपरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशक ने लेखपरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः धनराशि ₹ 13.84 लाख की प्रविष्टि रोकड़ बही न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- धनराशि ₹ 3.69 लाख का अनियमित भुगतान।

कार्यालय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के मार्च 2017 के वेतन बिल (Pay Bill) एवं उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) के तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि सात कार्मिक जिनकी उपस्थिति, उपस्थिति पंजिका में दर्ज नहीं पायी गयी, जबकि उनका वेतन आहरित किया जा रहा था। विवरण निम्नवत हैः-

Sr. No.	Name of Employee (Shri/Mrs.)	Designation	Gross salary drawn as per Pay Bill Register
1.	Keshav Datt Joshi	Administrative Officer	59012
2.	Hem Chandra Pandey	Pharmacist	91962
3.	Uma Pathak	Awar Sahayak	49708
4.	Gopesh Kumar Joshi	Eye Assistant	55132
5.	Narendra Nath Pandey	Insect Collector	26383
6.	Basant Ballabh Lohani	Lab Technician	43218
7.	Mrs Pushpa Bisht	Lab Technician	43218
		Total	3,68,633/-

लेखापरीक्षा में इंगित कियेजाने पर निदेशक ने उत्तर दिया कि उक्त कार्मिकों की तैनाती अन्य कार्यालयों (कार्यालय सहायक निदेशक मलेरिया, कुमाऊँ मण्डल, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर, कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, बी.डी. पाण्डे पुरुष चिकित्सालय, नैनीताल एवं कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, जी.बी.पन्त चिकित्सालय, नैनीताल) में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से की गयी है एवं उनकी उपस्थिति के सत्यापन के पश्चात ही वेतन आहरित किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्मिकों के सक्षम अधिकारी द्वारा तैनाती के आदेश की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार निदेशक कार्यालय द्वारा अन्य कार्यालयों में अनियमित रूप से सम्बद्ध किये गये कार्मिकों के वेतन पर मार्च 2017 में ₹ 3.69 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

अतः अन्य कार्यालयों में अनियमित रूप से सम्बद्ध किये गये कार्मिकों के वेतन पर मार्च 2017 में ₹ 3.69 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
181/2015-16	शून्य	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
181/2015-16	भाग-दो(ब) प्रस्तर सं.-1 एवं STAN-1	अनुपालन आख्या संलग्न है।	यथावत रखा जाता है	-----

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ. गीता शर्मा	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	विगत लेखापरीक्षा से 30.11.2016 तक
2.	डॉ. एल.एम. उप्रेती (प्रभारी)	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	01.12.2016 से 20.01.2017 तक
3.	डॉ. मीना पुनेरा भट्ट	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	20.01.2017 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.